न्यायालय सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा राज०

पीठासीन अधिकारी – नयन गौतम आइ0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
47 / 2024	24 / 07 / 2024	07/11 / 2024

संतोषबाई पुत्री श्री मांगीलाल जाति बैरागी निवासी अयानी तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा तह० पीपल्दा जिला कोटा

प्रतिवादी

वाद अर्न्तगत धारा 88,89, आर0टी0एक्ट0

निर्णय दिनांकः– 07/11/2024

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम अयानी पटवार हल्का अयानी भू:अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० की जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 की खाता संख्या नयी 7 व पुरानी 6 की खसरा संख्या 1187 रकबा 1.93 हैक्टेयर, कुल किता 1 कुल रकबा 1.93 हैक्टेयर व ग्राम रघुनाथपुरा पटवार हल्का अयानी भू:अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० की जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 की खाता संख्या नयी 2 व पुरानी 50 की खसरा संख्या 93 रकबा 0.37 हैक्टेयर, कुल किता 1 कुल रकबा 0.37 हैक्टेयर भूमि वादीया की संयुक्त खातेदारी में दर्ज चली आ रही है, जिन्हे वाद पत्र की आगे कि मदो मे विवादित आराजी कहा गया है। यह कि उक्त आराजीयात् वादीया के नाम सन्ती पुत्री मांगीलाल के नाम से राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज चली आ रही है जबकी अन्य रिकॉर्ड आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक खाता, पेन कार्ड, अंकतालिका, मे वादीया का नाम संतोष पुत्री मांगीलाल दर्ज है, सन्ती व संतोषबाई एक ही महिला के नाम है किन्तु वादीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में त्रृटिपुर्वक सन्तोष पुत्री मांगीलाल के स्थान पर सन्ती पुत्री मांगीलाल दर्ज हो रहा है। वादीया के दो भिन्न–भिन्न रिकॉर्ड व नाम हो जाने के कारण वादीया को कृषि विकास कार्यों को करवाने, बैंक लोन आदि लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है इस कारण वादीया को संतोष पुत्री मांगीलाल के नाम से खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने का अधिकार है। यह कि वादीया का संतोष पुत्री मांगीलाल के स्थान पर सन्ती पुत्री मांगीलाल दर्ज हो जाने के कारण वादीया को काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है। वादीया ने प्रतिवादी से कई बार राजस्व रिकॉर्ड की उक्त श्रुटि को दुरूस्त करने बाबत् निवेदन किया किन्तु उन्होने कोई ध्यान नही दिया तथा टालमटोल करते रहे व कोई कार्यवाही नही की तथा दिनांक 21.06.2024 को अन्तिम बार निवेदन करने पर प्रतिवादी द्वारा सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया, इस कारण वादीया द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हो गया है। यह है कि ग्राम अयानी पटवार हल्का अयानी भू:अभिलेख

सहायक कलेक्टर इटावा जिला कोटा (राज०)

निरिक्षक क्षेत्र अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० की जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 की खाता संख्या नयी 7 व पुरानी 6 की खसरा संख्या 1187 रकबा 1.93 हैक्टेयर, कुल किता 1 कुल रकबा 1.93 हैक्टेयर भूमि व ग्राम रघुनाथपुरा पटवार हल्का गैंता भू:अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र गैंता तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० की जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 की खाता संख्या नयी 2 व पुरानी 50 की खसरा संख्या 93 रकबा 0.37 हैक्टेयर, कुल किता 1 कुल रकबा 0.37 हैक्टेयर भूमि मे वादीया का नाम संतोष पुत्री मांगीलाल दर्ज किया जावें, तथा वादीया को संतोष पुत्री मांगीलाल के नाम से खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

वादीया की ओर से पृथ्वीराज वैष्णव एड0 ने दावा पेश किया। वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। सरकार की ओर से सरकार पैरोकार उपस्थित हुए। जवाब सरकार प्राप्त हुआ। शामिल पत्रावली है। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज यथा आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, बैंक पासबुक में वादीया का नाम संतोषबाई दर्ज है। पत्रावली में प्रतिवादी के प्रस्तुत जवाब सरकार में वादी का नाम संतोषबाई दर्ज करना उचित होगा। उक्त विवेचन के आधार पर सन्ती पुत्री मांगीलाल के स्थान पर संतोषबाई पुत्री मांगीलाल दर्ज करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वाके ग्राम अयानी पटवार हल्का अयानी भू:अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० की जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 की खाता संख्या नयी 7 व पुरानी 6 की खसरा संख्या 1187 रकबा 1.93 हैक्टेयर, कुल किता 1 कुल रकबा 1.93 हैक्टेयर भूमि व ग्राम रघुनाथपुरा पटवार हल्का गैंता भू:अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र गैंता तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० की जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 की खाता संख्या नयी 2 व पुरानी 50 की खसरा संख्या 93 रकबा 0.37 हैक्टेयर, कुल किता 1 कुल रकबा 0.37 हैक्टेयर भूमि मे वादीया का नाम संतोषबाई पुत्री मांगीलाल दर्ज किया जावें, तथा वादीया को संतोषबाई पुत्री मांगीलाल के नाम से खातेदार कृषक घोषित किया जावें। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किए जाने के आदेश प्रतिवादी को दिए जाते है। तदनुसार डिक्री जारी की जावें।

निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर आज दिनांक 07/11/2025 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
इटावा जिला कोटा

सहायक कलक्टर
इटावा जि० कोटा (राज०)

न्यायालय सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा राज०

डिकी मुकदमा इब्ताई
(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– नयन गौतम (आइ.ए.एस)

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
47 / 2024	24 / 07 / 2024	07 / 11 / 2024

संतोषबाई पुत्री श्री मांगीलाल जाति बैरागी निवासी अयानी तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा तह० पीपल्दा जिला कोटा

प्रतिवादी

वाद अर्न्तगत धारा 88,89, आर0टी0एक्ट0

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री पृथ्वीराज वैष्णव एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू................ मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **वाद वादी स्वीकार किया जाकर** वाके ग्राम अयानी पटवार हल्का अयानी भू:अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० की जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 की खाता संख्या नयी 7 व पुरानी 6 की खसरा संख्या 1187 रकबा 1.93 हैक्टेयर, कुल किता 1 कुल रकबा 1.93 हैक्टेयर भूमि व ग्राम रघुनाथपुरा पटवार हल्का गैंता भू:अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र गैंता तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० की जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 की खाता संख्या नयी 2 व पुरानी 50 की खसरा संख्या 93 रकबा 0.37 हैक्टेयर, कुल किता 1 कुल रकबा 0.37 हैक्टेयर भूमि मे वादीया का नाम संतोषबाई पुत्री मांगीलाल दर्ज किया जावें, तथा वादीया को संतोषबाई पुत्री मांगीलाल के नाम से खातेदार कृषक घोषित किया जावें। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किए जाने के आदेश प्रतिवादी को दिए जाते है। तदनुसार डिकी जारी की जाती है।

डिकी मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 07/11/2024 को जारी किया गया।

निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		

सहायक कलक्टर
इटावा जि० कोटा (राज०)

खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा

सहायक कलेक्टर
इटावा जि0 कोटा (राज0)